मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2006

क्रमांक – 832 –मप्रविनिआ–2006. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 39 (2) (डी), 40 (सी), 42 (2, 3), 86 (1) (सी) सहपठित धारा 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1431/मप्रविनिआ/2005 दिनांक 16 जून, 2005 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन) (क्रमांक एजी–26 (i) वर्ष 2006)

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें), विनियम, 2005 (प्रथम संशोधन)' (एजी 24 (i), वर्ष 2006)'', कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. धारा 2 में संशोधन :

मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच की निबंधन एवं शर्तें विनियम, 2005 के हिन्दी संस्करण के **अनुच्छेद 2.1** में परिभाषा ''दिवस'' के अंको, ''0,00'' को अंको ''00.00'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा,, उपसचिव